



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
 CUSTOMS (PREVENTIVE)
 पाँचवी मंज़िल, कैथोलिक सेंटर, ब्रॉडवे, कोचिन - 682031

5TH FLOOR, CATHOLIC CENTRE, BROADWAY, COCHIN - 682031

E-mail: cusprevhq.ker@nic.in

Fax: 0484-2355065

Phone: 0484-4569401/2354056

दिनांक / DATE: as e-signed

सार्वजनिक सूचना सं.
PUBLIC NOTICE NO. 03/2026

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) की नियुक्ति – संबंधी।

Right to Information Act, 2005 – Appointment of First Appellate Authority (FAA)– reg.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) तथा (2) के प्रावधानों के अनुसार, व्यापार, उद्योग एवं सामान्य जनता को इसी के साथ सूचित किया जाता है कि सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त द्वारा दिनांक 08.06.2026 को जारी कार्य आवंटन आदेश सं. 28/2026 के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारी को अपने संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में प्रथम अपील अधिकारी (प्र.अ.अ.) के रूप में नामित किए गए हैं। अपने अधीनस्थ कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु दिए गए आवेदन की प्राप्ति पर उक्त अधिकारी को सूचना प्राप्त करना एवं संबंधित व्यक्ति को प्रदान करना होगा।

In accordance with the provisions of Section 5(1) and 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the trade, industry, and general public are hereby informed that the officers mentioned below, under the Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin, are designated as the First Appellate Authority (FAA). This designation is consequent upon the recent work allocation Office Order No. 28/2026 dated 08.06.2026 issued by the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin, to receive and provide information to the public under the Right to Information Act, 2005.

अधिनियम की धारा 19(1) के तहत नामित अपील अधिकारी है –

The Designated Appellate Authority under Section 19(1) of the Act is –

अधिकारी का नाम Name of the officer	पदनाम/ Designation	नियुक्त पद Appointed as	पता Address
श्रीमती एस. अशोक रानी Smt. S. Ashok Rani	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	प्रथम अपील अधिकारी (प्र. अ. अ.) First Appellate Authority (FAA)	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय, पाँचवीं मंज़िल, कैथोलिक सेंटर, ब्रॉडवे, कोचिन-682031 Office of the Commissioner of Customs (Preventive), 5th floor, Catholic Centre, Broadway, Cochin - 682031 Email: ashokraniv.2010@gov.in Phone No.: 0484-2355061/9846535768

नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों को उच्च प्राथमिकता दें और सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** में निर्धारित प्रावधानों तथा समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन करें।

The designated First Appellate Authority is directed to give much priority in RTI Applications and strictly follow the provisions and the time lines as prescribed in the RTI Act, 2005.

डॉ. टी. टिजू
Dr. T. Tiju
(आयुक्त/Commissioner)

सेवा में/To:

1. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन के अधीनस्थ सभी कार्यालय।

All the formations under Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

प्रतिलिपि प्रस्तुत/Copy submitted to:

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।

**The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone.**

2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन, कालिकट तथा तिरुवनंतपुरम
(कार्यालयीन वेबसाइट पर सूचनार्थ डालने के अनुरोध सहित)।

**The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Cochin, Calicut,
and Trivandrum (with a request to upload in the official site for
information.)**

3. सूचना पट्ट/Notice Board